मेहनतकशों का पैग़ाम मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

पाक्षिक

Email : mazdoormorcha1987@gmail.com
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

- भारत में मीडिया के बुरे दिन...शुरू होते हैं अब — 3
- फरीदाबाद में 50 हजार करोड़ का प्रॉपर्टी घोटाला
- योगी भी राम रहीम की तरह न्याय की गड्डी चढ़ेंगे! — 4
- मैं नपुंसक हूं, राम रहीम ने अदालत से फिर कहा
- यूपी के लौंडों की सांस्कृतिक समझदारी बदल देगा लड़कियों का यह आंदोलन — 5
- पूजा-पाठ न काम आया सरकार के, न काम आयेगा बाबा का आशीर्वाद सी पी के — 8

वर्ष 30 | अंक 22 | फरीदाबाद | 1-15 अक्टूबर 2017 | फोन : - 9999595632 | ₹ 2

एनआईए के नये चीफ़ योगेश चन्द्र मोदी का एजेंडा

पुराने चीफ़ शरद का बिका बकाया काम पूरा करेंगे

दो साल तक ओवर टाइम कराने के बाद एनआईए चीफ़ शरद कुमार को अब छुट्टी मिलने जा रही है। वैसे तो उनका कार्यकाल 31 अक्तूबर तक का है लेकिन नये चीफ़ वाई. सी. मोदी को सीबीआई से उठा कर उनके साथ बैठा दिया गया है। शरद कुमार को जब तक पुरस्कार-स्वरूप कोई नई नियुक्ति नहीं मिलती वे ही चीफ़ बने रहेंगे। इस दौरान शरद कुमार उन्हें पूरे दांव-पेच सिखा देंगे।

मज़दूर मोर्चा, नई दिल्ली ब्यूरो

योगेश चन्द्र मोदी हरियाणा (जींद) के मूल निवासी और हरियाणा के पूर्व डीजीपी यशपाल सिंघल के छोटे भाई हैं। एनआईटी फ़रीदाबाद की डीसीपी आस्था मोदी इनकी पुत्री हैं। 58 वर्षीय वाई.सी. मोदी असम-मेघालय काडर के 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। इनके पिता लाला रामेश्वर दास न केवल जींद के बल्कि हरियाणा स्तरीय आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) के बड़े नेता रहे हैं।

1990 के दशक में जब नरेन्द्र मोदी को गुजरात से तड़ी पार किया गया तो वे हरियाणा, पंजाब हिमाचल आदि में घूमा करते थे। इस दौरान जींद में वे रामेश्वर दास जी के घर पर ही पड़ाव डालते थे। पिता के नक्शे कदम पर चलते दोनों भाई आईपीएस होने के बावजूद संघ के प्रति कटिबद्ध और नरेन्द्र मोदी के अंध-भक्त रहे। इसी भक्ति के चलते यशपाल को खट्टर सरकार ने आते ही डीजीपी का पद सौंप दिया जो उनसे संभल नहीं पाया था। सेवानिवृत्ति पश्चात यानी अप्रैल 2017 में उन्हें राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया।

वाई.सी. मोदी ने नरेन्द्र मोदी के प्रति अपनी वफ़ादारी 2003 में उस वक्त साबित की थी जब वे सीबीआई में ज्वांयट डायरेक्टर थे। उस वक्त उन्हें गुजरात के पूर्व गृह मंत्री हरेन पांड्या जिनकी 2001 में हत्या हुई थी, केस की जांच सौंपी गयी थी। विदित है कि हरेन पांड्या की पत्नी ने हत्या का आरोप नरेन्द्र मोदी पर लगाया था। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई जांच हुई थी।

वाईसी मोदी : एजेंडा क्या है !

नरेन्द्र मोदी की फ़र्मायश पर तत्कालीन गृहमंत्री एलके आडवाणी ने जांच का यह काम योगेश चन्द्र मोदी को सौंपा था। इस जांच के द्वारा नरेन्द्र मोदी व उनके तमाम सहयोगियों को दोषमुक्त कर दिया गया था। इसी तरह 2011 में भी सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया। इस बार भी जांच टीम का नेतृत्व इन्हीं वाई.सी. मोदी को सौंपा गया। इस बार 2002 में हुए नरसंहार को लेकर दर्ज हुए मुकदमों की जांच करके तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार को बेदाग़ सिद्ध करना था जो वाई.सी. मोदी ने बहुत हद तक कर दिखाया।

नरेन्द्र मोदी पर हरेन पांड्या की हत्या का आरोप लगाने के पीछे, पांड्या परिवार के अनुसार, जब 2001 में यकायक नरेन्द्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया तो उन्हें विधान सभा का चुनाव लड़ने के लिये हरेन पांड्या वाली सीट सबसे सुरक्षित नज़र आई जिसे पांड्या ने खाली करने से मना कर दिया था। इसी खुंदक में पहले तो पांड्या को मंत्रीमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया और फ़िर दुनिया से। दूसरी तरफ़ जिस विधायक ने मोदी के लिये सीट छोड़ी उसे एक राज्य का गवर्नर बनवा कर पुरस्कृत किया, जाहिर है यह सब तत्कालीन गृहमंत्री आडवानी के सहयोग से ही संभव हो पा रहा था।

सेवा निवृति के दो साल बाद तक शरद कुमार को एनआईए चीफ़ रखकर मोदी ने संघ परिवार पर लगे अनेकों दाग़ धुलवाये। जिस समझौता बलास्ट की शुरूआती तफ़्तीश में हरियाणा के तत्कालीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वीएन राय ने और बाद में उसी तफ़्तीश को आगे बढाते हुए मुंबई के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हेमंत कड़कड़े व बतौर एनआईए के संस्थापक चीफ़ एस.सी सिन्हा ने भगवा आतंकियों को दोषी सिद्ध किया था, उन सब को शरद कुमार जी ने दोष-मुक्त करा दिया। इस काम के लिये शरद कुमार ने पुलिस के तमाम गवाहों को तोड़ा यहां तक कि पुणे की सरकारी (महिला) वकील के पास अपने एक एसपी को भेज कर केस कमजोर करने के लिये धमकाया भी था। इसकी शिकायत उस वकील ने हाई कोर्ट तक भी की थी।

एनआईए में आने के समय योगेश चन्द्र मोदी सीबीआई में बतौर स्पेशल डायरेक्टर तैनात थे और चाहते थे कि उन्हें सीबीआई का ही डायरेक्टर बनाया जाय। परन्तु प्रधानमंत्री मोदी को उनसे अधिक कोई और भरोसेमंद अफ़सर नज़र नहीं आया जो शरद कुमार के उन बचे हुए कामों को पूरा कर सके जिनके लिये नरेन्द्र मोदी गत कई वर्षों से जुटे हुए हैं। ऐसा भी नहीं है कि सीबीआई का मुखिया नरेन्द्र मोदी किसी ऐरे-गैरे को बना दें, इस पद के लिये भी वे गुजरात से ही अपने चहेते आईपीएस अफ़सर को ही लाये हैं।

देश के पटल पर बिछी राजनीतिक शतरंज की बिसात पर नरेन्द्र मोदी व अमितशाह अपने मोहरे बहुत ही चतुराई से बैठा रहे हैं। हर महत्वपूर्ण सरकारी पद पर वे अपने खासम-खास विश्वसनीय अफ़सरों को फ़िट कर रहे हैं जिनमें से अधिकांश गुजरात से आते हैं।

न्यायपालिका या अन्यायपालिका

फ़रीदाबाद (म.मो.) नीमका जेल में बंद मुंबई निवासी सैयद आलम लारी उर्फ़ बम्बइया के सम्बन्धी दस्तावेज देखने से पता चला कि उसे थाना सेक्टर 55 पुलिस ने एफआईआर नम्बर 174, दिनांकित 26 मई 2007, केस में गिरफ़्तार किया था। मामला था बच्चे के अपहरण का । उस बच्चे का, जिसको बम्बइ में रहने वाले इस व्यक्ति ने कभी देखा तक नहीं था। धारा भी लगाई गयी 364 ए जिसमें तत्कालीन अतिरिक्त सैशन जज प्रमोद गोयल ने उम्र कैद की सज़ा सुना कर जेल भेज दिया था। पीड़ित की ओर से तुरंत हाई कोर्ट में अपील व जमानत अर्ज़ी लगाई गयी। पीड़ित बम्बइया के विरुद्ध प्रोसिक्यूशन के पास किसी प्रकार का कोई सबूत नहीं था। सबूत के नाम पर था तो केवल 3-4 बार की टेलिफ़ोन वार्ता जो पीड़ित बम्बइया व अपहृत बच्चे के परिजनों के बीच हुई थी। ये वार्तायें भी बमुश्किल एक-एक, दो-दो मिनट से अधिक की नहीं थी। उक्त वार्तालाप रिकार्डिड भी नहीं था जिससे कुछ साबित हो पाता; हां इस मोबाइल टेलिफ़ोन वार्ता के आधार पर फ़रीदाबाद पुलिस ने उसे मुंबई में ढूंढ जरूर लिया।

दिनांक 16.5.17 को हाई कोर्ट के जज साहेबान न्यायमूर्ति एस.एस. सारों व न्यायमूर्ति दर्शन सिंह ने अपील सुन कर फैसला दिया कि इस केस में धारा 364 ए की बजाय 365 बनती हैं। धारा 365 में अधिकतम सज़ा 7 वर्ष की है जबकि पीड़ित को धारा 364 ए में उम्र कैद की सज़ा मिली हुई थी और इसमें से 9 साल व 8 माह की सज़ा वह काट चुका था। कैद के नियमों अनुसार 7 वर्ष की कैद लगभग 5 वर्ष में पूरी हो जाती है। यानी अधिकतम 5 वर्ष की सज़ा के बदले पीड़ित बम्बइया 9 वर्ष 8 माह की सज़ा तो पहले ही काटे बैठा था तो अब अपील और जमानत पर क्या सुनवाई हो सकती थी। लिहाज़ा उसे तुरंत रिहा करके न्यायपालिका ने अपना पल्ला झाड़ लिया।

यदि यही सुनवाई 9 साल पहले हुई होती तो पीड़ित पक्ष यह भी सिद्ध करता कि वह धारा 365 के तहत 7 साल की सज़ा का भी हकदार नहीं है। लेकिन 9 साल और 8 माह की सज़ा काटने के बाद कहने सुनने का बचा ही क्या था। न्ययपालिका की इस कार्यशैली को कोई कैसे न्याय मान सकता है ? एक बेगुनाह द्वारा काटी गयी इस सज़ा के लिये क्या खुद न्यायपालिका दोषी नहीं है ?

यह तो मात्र एक उदाहरण है इस तरह के दर्जनों केस तो इस संवाददाता ने नीमका जेल में ही देख लिये हैं; देश भर की बाकी जेलों में न जाने कितने बेगुनाह लोग सज़ा काट रहे हैं। ऐसे भी अनेक उदाहरण है जब दस-दस साल हवालात में रहकर मुकदमा लड़ने के बाद लोग अदालतों से बड़ी हुए हैं। इस तरह निर्दोष होने के बावजूद नाजायज सज़ा कटाने के लिये क्या खूद न्यायपालिका दोषी नहीं हैं ?

जलभराव के लिये 'जिम्मेदार' एसडीओ को डीसी ने किया निलंबित

फ़रीदाबाद (म.मो.) शहर के बीचों-बीच से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग सहित शहर की कोई सड़क, गली, मुहल्ला व सेक्टर ऐसा नहीं था जहां 22-23 सितम्बर की वर्षा से जल भराव न हुआ हो। राजमार्ग पर घंटों रेंग-रेंग कर वाहन चले तो शहर के भीतरी इलाकों में अनेकों वाहन पानी में फ़ंस कर बंद हो गये जिन्हें बड़ी मुश्किल से घंटों बाद घसीट-घसीट कर निकाला गया। राजमार्ग निर्माण के नाम पर अनिल अम्बानी (रिलांयस कम्पनी) की गुंडागर्दी बरसात में बहुत घातक सिद्ध होती है। वाईएमसीए के निकट जिस तरह से सड़क खोद कर छोड़ दी गयी है वह दुर्घटनाओं को सीधा निमन्त्रण देती है। बरसाती पानी भर जाने से वाहन चालकों को कुछ पता नहीं चलता कि पानी सड़क पर खड़ा है या खुदी हुई जगह पर। इसके चलते अनेकों वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गये। लेकिन कोई पूछने वाला नहीं।

जलभराव को लेकर डीसी साहब का गुस्सा न किसी कमिश्नर पर, न किसी चीफ़ इन्जीनियर एस.ई., एक्स.ई.एन. पर उतरा, उतरा भी तो एक अदना से एसडीओ पर उतरा यह भी शायद न उतरता यदि उनके खुद के 15 ए स्थित सरकारी आवास में पानी न घुसता। शहर के सैंकड़ों हज़ारों घरों में पानी हर बरसात में घुसता है, परन्तु इस बार पानी ने गुस्ताखी बड़े साहब के घर में घुसने की जो कर दी थी, इसलीये किसी पर तो गुस्सा उतरना ही था। शायद सबसे कमजोर कड़ी यहां एसडीओ ही था।

एसडीओ का कसूर यह बताया गया है कि डिसपोजल की 8 में से केवल 2 मोटरें ही पानी खीच रही थी शेष 6 बंद पड़ी थीं। ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ। शहर भर के तमाम डिसपोजलों की आधे से अधिक बल्कि कई बार तो सभी बंद मिलती हैं। डीज़ल पम्प सेट में या तो डीज़ल नहीं होता या उसकी फ़ैन बेल्ट टूटी होती है या कुछ और बिगड़ा होता है। हर साल में 3-4 बार यह सब देखने को मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा।

इसका कारण एक एसडीओ या जेई मात्र नहीं हो सकता। ये लोग तो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी प्रशासनिक चेन की एक कड़ी मात्र हैं। इस चेन में कोई घटिया क्वालिटी की मोटरें खरीदने में कमीशन खा रहा है तो कोई डीज़ल बेच कर डकार रहा है तो कोई मेनटेनेंस के नाम पर दिहाड़ी बनाने में जुटा है। पूरा माहौल इतना गैरजिम्मेदाराना बना कर रखा गया है कि किसी एक की जिम्मेदारी तय करने का प्रयास ही नहीं किया जाता। रही-सही कसर राजनेताओं की सिफ़ारिशों से पूरी हो जाती है।

इसलिये निलम्बन का अर्थ यह निकलता है कि एक दो माह आधे वेतन पर पूरी छुट्टी और बहाल होने पर बकाया पूरा वेतन भी मिल जाता है। वैसे पम्पों व मोटरों द्वारा पानी निकासी का यह सारा सिस्टम ही न केवल ग़लत है बल्कि महंगा भी बहुत पड़ता है। करोड़ों के वास्तविक खर्चे तो हैं ही उससे कई गुणा अधिक भ्रष्टाचार की भेंट चढ जाते हैं।

सोची समझी बात है कि पानी सदैव ढलान की ओर बहता है। बरसाती पानी अपना रास्ता खुद बनाता आया है। जब से इस देश में शहर व गांव बसे हैं, पानी बिना किसी मोटर व पम्प के स्वत: अपने ठिकाने पहुंचता आया है। इसी शहर (नगर निगम क्षेत्र) में इन ठिकानों के रूप में 150 से अधिक तालाब थे। मई-जून में जब ये तालाब सुख जाते थे तो इनकी खुदाई जनता स्वत: कर लेती थी, अपनी मिट्टी की जरूरतें पूरी करने हेतु और वर्षाकाल का सारा पानी इनमें समा जाता था। । इससे भू-जल स्तर भी बना रहता था और सड़कों गलियों में जल भराव भी नहीं होता था।

अब, जब से भ्रष्टाचारी नेताओं व अफ़सरों ने कमान सम्भाली है, सारे सिस्टम उलट-पुलट कर दिये हैं। नई बस्तियां, कॉलोनियां व सेक्टर आदि बनाते समय पानी की ढलान का कोई हिसाब नहीं रखा गया। बरसाती पानी की निकासी के नाम पर करोड़ों रुपये की भूमिगत नालियां बना दी गयी। हरामखोरी व रिश्वतखोरी के चलते ये नालियां लगभग बेकार हैं। जो तालाब बरसाती पानी को सम्भालते थे वे पहले तो सीवेज व अन्य गन्दगी से सड़ाये गये और फ़िर बेच खाये गये अथवा अवैध कब्जों की भेंट चढा दिये गये। पानी के बहाव के तमाम कुदरती रास्ते तो बन्द कर दिये गये। भ्रष्टाचारियों द्वारा निर्मित भूमिगत ड्रेनेज व्यवस्था सदैव नाकाम रहने के चलते जल भराव का दंश जनता को झेलना पड़ रहा है।

चोरों और डाकुओं द्वारा संचालित इस व्यवस्था में चाहे कितना भी धन लगा दिया जाय, जल भराव व गंदगी से छुटकारा मिलने की दूर-दूर तक कोई संभावना नहीं है।